

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 25 (9) सा.प्र/4/2013


जयपुर, दिनांक: 23/3/17

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक: 09.01.2017 द्वारा विश्राम भवनों हेतु गठित उपापन समिति (जयपुर एवं माउंट आबू को छोड़कर) में समस्त उपापन संबंधी कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार संशोधित उपापन समिति का गठन किया जाता है:-


- | | |
|---|------------|
| 1. जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो ए.डी.एम. स्तर से कम न हो | अध्यक्ष |
| 2. कोषाधिकारी, संबंधित जिला या उनके द्वारा नामित लेखाकर्मी | सदस्य |
| 3. अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता सिटी डिवीजन संबंधित जिला | सदस्य |
| 4. प्रबन्धक, संबंधित विश्राम भवन | सदस्य सचिव |
| 5. वरिष्ठ हाउस कीपर/हाउसकीपर, संबंधित विश्राम भवन | सदस्य |

विश्राम भवन से संबंधित समस्त उपापन कार्य उक्त कमेटी द्वारा लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना करते हुए किया जावेगा।


(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, (समस्त)।
4. कोषाधिकारी, (समस्त)।
5. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबन्धक, विश्राम भवन, (समस्त)।


(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)